BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION. 142/2026

IN THE MATTER OF:

SANJAY SHARMA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. …RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 23.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE GO DT. 16.03.2010 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY THE LETTER DT. 01.10.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPIES OF THE REVENUE RECORDS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R-3	
5.	COPIES OF THE LETTER DT. 23.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

6.	COPY OF THE LETTER DT. 18.05.2026 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5	
7.	COPY OF THE VETTING REPORT HEREWITH AS ANNEXURE R-6	
8.	COPY OF THE LETTER DT. 19.05.2026 HEREWITH AS ANNEXURE R-7	
9.	COPY OF THE LETTER DT. 20.05.2026 HEREWITH AS ANNEXURE R-7	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 23.05.2026
Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION. 142/2026

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Virendra Kr. Garg Notary Advocate Reg. No.-2874 G.B. Nagar GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

SANJAY SHARMA **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. **...RESPONDENT(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 23.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Medha Roopam, aged about 35 years, W/o Manish Bansal, posted as, District Magistrate, Gautam Buddha Nagar, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I, state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY Virendra Kr. Garg Notary Advocate Reg. No.-2874 G.B. Nagar GOVT. OF INDIA

जिलाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

2. That I, state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. ALLEGATIONS IN THE PRESENT OA

3. That in the present Original Application, the applicant has raised grievance against the construction of permanent concrete structure in the form of crematorium in an area of 20,000 square meters. The applicant alleges that this construction is in the flood plain of River Hindon, a tributary of River Yamuna in Khasra No. 104, 105 and 106 of Village Bisrakh, District Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh. The applicant further alleges that this crematorium facility includes construction of a boundary wall, 40 cremation platforms, a temple, a prayer hall, a wood storage godown, CNG furnaces, cement and concrete roads and parking space for 120 vehicles. The applicant has referred to the order of the District Magistrate Third, Head Works Block, Agra Canal, Okhla New Delhi dated 08.09.2021 to show that the above khasra numbers are falling within the Kulesara bandh and Hindon River and a part of the flood affected area. He has further submitted that even in terms of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 such construction on the flood plain of River Ganga or its tributaries is impermissible.

4. That the Hon'ble Tribunal vide order dt. 23.02.2026 directed as under:

   "4. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate accepts notice on behalf of the Respondent No. 1, 3 & 4 and seeks four weeks' time to file the reply. Let notice be issued to the Respondent No. 2 and 5. Applicant is directed to serve the Respondent No. 2 and 5 and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

   5. In the meanwhile, the Respondent No. 4 is directed to ensure that no illegal construction in violation of the material which has been relied upon by the applicant as noted above takes place."

5. That it is submitted that the area situated between the Hindon River and the Kulesara bandh is a floodplain area. That as per Government Order No. 1417/27-Si-2-181 Flood/09 dated 16.03.2010, since the floodplain area of River Hindon falls within the notified area of the Greater Noida Industrial Development Authority, all effective action in relation thereto is to be undertaken by the Authority.

   A Copy of the GO dt. 16.03.2010 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

6. Further, vide Letter No. 1056/C.R.A. Disaster Management/2020-21 dated 01.10.2020 issued by the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar, responsibility for taking action against constructions being carried out within the floodplain area of River Hindon situated in the notified area of the Authority has also been fixed upon the concerned Authority. Therefore, all effective action in the matter shall be undertaken by the Greater Noida Industrial Development Authority.

   A Copy of the letter dt. 01.10.2020 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

7. That the said construction is being carried out in the floodplain area of River Hindon situated in Khasra Nos. 104, 105 and 106 of Revenue Village Bisrakh, and in the floodplain zone area of River Hindon situated in Revenue Village Kulesara.

   Copies of the revenue records of the said khasras have been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

II. COMMUNICATION TO GNIDA

8. That subsequently, the Deponent has written a letter dt. 23.04.2026 to the Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority to

provide the necessary report with respect to the actions taken in the present matter.

A Copy of the letter dt. 23.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

III. RESPONSE FROM GNIDA

9. That in response to the aforesaid letter, the GNIDA vide letter dt. 18.05.2026 to the Deponent, has informed as under:

   - That considering the increasing population of Greater Noida West and for the purpose of providing basic civic facilities, the Planning Department has planned a modern crematorium over the acquired and possession-transferred land of Khasra Nos. 104 and 105 of Village Bisrakh Jalalpur, as provided by the Land Records Department.
   - That subsequent to the planning of the crematorium, the Project Department prepared the estimate for construction of the said crematorium and obtained vetting of the estimate from Indian Institute of Technology Roorkee, after which tenders were invited. Thereafter, upon approval of the tender by the competent authority, an agreement was executed and the work was commenced, which is presently in progress.

   A Copy of the letter dt. 18.05.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

A Copy of the Vetting Report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-6.**

- That the Irrigation Department is constructing a regulator and a 12-meter-wide drain in order to prevent overflow of River Hindon, so that the impact of flood waters during flooding in the Hindon River may be regulated and any potential loss of life and property in the areas of Noida and Greater Noida may be prevented. Further, no work is being carried out by the Authority on Khasra No. 106 of Village Bisrakh.
- It is proposed that permanent tin sheds shall be erected over the roof of the regulator being constructed by the Irrigation Department, for development of the crematorium facility. Permanent tin sheds are also proposed for storage of wood meant for last rites, so that there shall be no violation of the orders of the National Green Tribunal.
- The population density in Greater Noida West is increasing day by day, and there is no other crematorium available in the nearby area. Consequently, local residents are compelled to travel to distant places for performing last rites, causing considerable hardship. In this regard, local residents have repeatedly requested construction of a crematorium facility.

IV. COMMUNICATION TO IRRIGATION DEPARTMENT

10. That further a letter dt. 19.05.2026 was written from the Office of the Deponent to the Executive Engineer, Irrigation Department, Okhla Canal Gautam Buddh Nagar. That vide the said letter the report of the GNIDA has been forwarded to the Irrigation Department and it has been directed to furnish the report with respect to the necessary action taken in the present matter.

    A Copy of the letter dt. 19.05.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

<u>V. RESPONSE FROM IRRIGATION DEPARTMENT</u>

11. That in response to the aforesaid letter, the Executive Engineer, Head Works Division, Agra Canal, Okhla vide letter dt. 20.05.2025 has informed as under:

    - That the Irrigation Department is constructing a back regulator and open drain on the Amanabad embankment/Kulesara bandh situated on the left bank of River Hindon, in order to prevent back water flow from entering the sectors during floods in the Hindon River. The said work is being undertaken to regulate back water flow during floods in River Hindon and thereby prevent waterlogging in the areas of Noida and Greater Noida, so as to protect the region from loss of life and property.
    - That as per the report submitted by the Greater Noida Industrial Development Authority, it has been stated that construction of a crematorium by placing a permanent tin shed over the roof of the

regulator being constructed by the Irrigation Department is proposed. The said statement is incorrect. A road has been provided over the embankment above the regulator for movement and access purposes. During floods, the regulator is operated through its gates. Therefore, provision of any permanent tin shed thereon is not feasible. Therefore, the Irrigation Department is not carrying out any construction activity within the floodplain area.

- That it is stated that although the demarcation work of the River Hindon has not been completed but the said construction in question in the present matter falls within the considered floodplain area of the River Hindon i.e. the area between the bank of the River Hindon and the Kulesara bandh.
- Further, as per the letter dated 01.10.2020 issued by the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar, responsibility for taking action against construction activities being carried out within the floodplain area of River Hindon situated in the notified area of the Authority has also been fixed upon the concerned Authority. Accordingly, all effective action in the matter shall be undertaken by the Greater Noida Industrial Development Authority.

A Copy of the letter dt. 20.05.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-8.**

12. That in compliance with Para 5 of order dt. 23.02.2026 passed by the Hon'ble Tribunal it is submitted that the said area falls within the notified area of the Greater Noida Industrial Development Authority, therefore, all effective action in relation thereto is to be undertaken by the Authority.

13. That the present affidavit is being filed bona fide and in compliance of the directions issued by this Hon'ble Tribunal.

जिलाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at G.B. Nagar on this 22nd day of May, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

जिलाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर
DEPONENT

NOTARY
Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar
GOVT. OF INDIA

ATTESTED 22/5/2026
Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar

ANNEXURE R-1

प्रेषक,

संख्या–1417वीं–27–सि–2–181बाढ़/09

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. प्रमुख सचिव गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन
3. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
10. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ
11. अध्यक्ष जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

सिंचाई अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2010

विषय : नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन में निर्माण से जहाँ एक ओर बाढ़ के समय बहाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जान–माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय–समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तथा आवास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1773/9–आ–1–1995, दिनांक 18 मई, 1995 एवं शासनादेश संख्या–2432/9–आ–1 अतिक्रमण/2003 (आ.ब.), दिनांक 04 अप्रैल, 2003 में भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनादेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कठोरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट–1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंन्ट एक्ट–1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू–मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर–(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की धारा–55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचना करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये।

संलग्नक – ०

(4) जिलाधिकारियों द्वारा यू०पी० फ्लड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट--1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

(5) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माणकारियों को सचेत किया जाय कि वह अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाय तो उपरोक्त उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था का फ्लड प्लेन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

(8) फ्लड प्लेन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(9) अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्त्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाये।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–1417बी(1)/09–27–सिं–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर निगमों के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. सिंचाई अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

13

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: /काप्रअ/

लखनऊ, दिनांक: जनवरी, 2015

परिपत्र

उत्तर प्रदेश की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन क्षेत्र की परिभाषा के सम्बंध चर्चा होती रहती है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश की नदियों के लिए एतद्द्वारा फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

1- जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित हैं ऐसे स्थानों पर दो तटबन्धों के मध्य का क्षेत्र।

2- जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं हैं ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्रों में 1:50 बाढ़ आवर्त (Flood Frequency) तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आवर्त का डूब क्षेत्र।

(अवध नरेश गुप्ता)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक 38 /काप्रअ/[illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 एवं तकनीकी सलाहकार, [illegible], सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (अनु० एवं नियो०) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

[illegible]

ANNEXURE R-2

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1054/सी0आर0ए0--आपदा प्रबंधन/2020--21 दिनांक 01 अक्टूबर 2020

कार्यालय ज्ञाप

आपदा प्रबंधन अधिनियम--2005 की धारा--25 में दिये गये प्राविधानों के अनुरुप गौतमबुद्धनगर में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.09.2020 को सम्पन्न हुई। उपरोक्त बैठक में जनपद में पूर्व में घटित आपदा सम्बन्धित घटनाओं और भविष्य में प्राकृतिक/मानव सृजित सम्भावित आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु कतिपय निर्णय लिये गये हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–34 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनपद के सम्बन्धित विभागों के लिए कतिपय अनुसंशा की गयी है जो उपरोक्त बैठक दिनांक--30.09.2020 के कार्यवृति के प्रस्तर–30 के बिन्दु ए0 और बी0 पर वर्णित है।

अतः कार्यवृति की प्रति संलग्न करते हुए सम्बन्धित को अनुपालनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप आपदा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय एवं अनुसंशा के क्रम में तत्काल अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
02– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, सै0–06 नोएडा।
03– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
04– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
05– पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
06– जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
07– समस्त सदस्य जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
08– समस्त इन्सीडेंट कमाण्डर/उपजिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
09– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड गौतमबुद्धनगर।
10– सहायक आयुक्त एवं सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प निबंधन(प्रथम/द्वितीय) गौतमबुद्धनगर।
11– समस्त उपनिबंधक गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बड़े पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के कम में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30.09.2020 का कार्यवृत्त।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के कम में जिलाधिकारी कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/सी0आर0ए0/2020-21, दिनांक 29.09.2020 द्वारा पुर्नःगठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.09.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे जिलाधिकारी, कैम्प कार्यालय, सेक्टर-27, नौएडा पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में आहूत की गयी, जिसमें जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बडे पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तथ्यों/बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया-

1- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाहबेरी में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति एवं भवन मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध एवं अनधिकृत तरीके से निर्मित निर्माणाधीन बहुमंजिले भवन एवं उसके समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के दिनांक 17.07.2018 को अकस्मात गिरने से 08 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त घटना के कम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के पत्र संख्या-ग्रे0नौ0/प्रोजेक्ट /वर्क सर्किल-4/2019/423, दिनांक 29.07.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को अवगत कराया गया था कि ग्राम शाहबेरी के क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2014 के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले सभी 431 बिल्डरों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हो एवं जिला प्रशासन द्वारा एन0एस0ए0/गैंगस्टर की कार्यवाही कर जेल भेजा जाए। प्राधिकरण की सूचना अनुसार 426 अवैध बिल्डर भवनों में 1567 परिवार रह रहे है। शेष फ्लैट/भवन को सील कराने एवं अवैध निर्माण न कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के पत्र संख्या-ग्रे.नौ./मु.का.अ./2019/डब्लूसी-4/1619, दिनांक 30.04.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से अपेक्षा की गयी थी कि अधिग्रहण लम्बित होने एवं प्रश्नगत प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित के स्थगन आदेश के दृष्टिगत सभी प्रकरणों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाये। विशेष परिस्थितियों में कोई भी रजिस्ट्री जिलाधिकारी के लिखित अनुमति के न की जाये।

3- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक प्राधिकरण के उपरोक्तानुसार उल्लिखित पृच्छाओं के कम में दिनांक 17.07.2018 को ग्राम शाहबेरी में कमजोर अवैध निर्माण के स्वतः ध्वस्त हो जाने के कारण घटित घटना में जान-माल की हुई क्षति के दृष्टिगत थाना बिसरख में मु0अ0स0-586/18, धारा-304/427/288/337/338/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। ग्राम शाहबेरी में हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक 75 अभियोग पंजीकृत कराये जा चुके है, जिनमें 52 अभियोग की विवेचना एस0आई0टी0 के सुपुर्द की गयी तथा 28 अभियोगों की विवेचना में 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट तथा 18 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में 30 अभियोगों की विवेचना एस0आई0टी0 में प्रचलित है, 05 अभियोगों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग स्टे किया गया है एवं 02 अभियोगों की विवेचना थाना बिसरख स्तर पर प्रचलित है। इसके

अतिरिक्त 18 गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग [illegible]
पंजीकृत किये गये है। मा0 [illegible] न्यायालय के आदेश से गैंगस्टर के [illegible] अभियुक्तों व उनकी कम्पनियों के विरुद्ध
रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा 03 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है 13 अभियोग
विवेचनाधीन है, 02 प्रकरणों में गैंगस्टर के [illegible] 02 अभियोग में अंतिम
एन0एस0ए0 की कार्यवाही । [illegible] के अतिरिक्त एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गयी है।
मेरठ, 2 जसवीर मान पुत्र मनवीर मान नि0 [illegible] [illegible] शाहबुद्दीन पुत्र स्व0 महमूद नि0 [illegible] रोड
गैंगस्टर अधि0 के 05 अभियोगों(69 फ्लैट्स, 02 प्लॉट व 01 चार पहिया वाहन) में 14(1) की नगर के विरुद्ध की गयी है।
कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में गैंगस्टर अधि0 के 08 अभियोगों(152 फ्लैट व 11 दो पहिया
व चार पहिया वाहन) में 14(1) की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

4- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या–सीए/सीपी–45/2020, दिनांक 30 जून, 2020, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को सम्बोधित है, में उल्लेख किया गया है कि "ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के संलग्न पत्र संख्या–ग्रे0नो0/प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–1/2020/310, दिनांक 04.06.2020 के माध्यम से उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम शाहबेरी में अवैध रूप से 87 अर्धनिर्मित अधोमानक भवन, जिसमें कोई निवास नही कर रहा है, में कोई नवनिर्माण न होने पाये/नया परिवार आकर निवास न करने पाये एवं 163 भवनों को चिन्हित करते हुए सम्बन्धित बिल्डरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रापर्टी अटैच करने की कार्यवाही किये जाने हेतु ग्राम शाहबेरी स्थित पुलिस चौकी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 163 भवनों को चिन्हित किये जाने हेतु टीम का गठन किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित टीम ग्राम शाहबेरी में जाकर प्राधिकरण की पास ले आउट व आई0आई0टी0 रिपोर्ट के अनुसार मिलान करते हुए 163 भवनों को चिन्हीकरण किया जाना है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मालिकाना हक के सम्बन्ध में प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम में राजस्व विभाग के तहसील दादरी के लेखपाल श्री अमित कुमार भी शामिल कराना समीचीन होगा, जिन्हें शाहबेरी गांव का पूर्व का अनुभव प्राप्त है। उपरोक्त 163 भवनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु प्राधिकरण/प्रशासन स्तर से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।"

5- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–4, लखनऊ के पत्र संख्या–1660(1)/11–4–18–19जीएन/18, दिनांक 18.07.2018 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ग्राम शाहबेरी में निर्माणाधीन भवन एवं समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के अकस्मात गिरने की घटना घटित होने पर निर्देश दिये गये थे कि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई भी अवैध निर्माण न हो। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आए तो इसे सम्बन्धित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकुल तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

6- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या–नौएडा/ भूलेख/2020/2853, दिनांक 24.07.2020 द्वारा नौएडा के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम नंगली–नगला, दौस्तपुर मंगरौली, नंगली वाजिदपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर, असगरपुर जागीर, रोहिल्लापुर आदि में श्री दिनेश त्यागी पुत्र श्री वेदप्रकाश त्यागी नि0 ग्राम ददसिया, हरियाणा व कुलदीप शर्मा नि0 फ्लेट नम्बर–1804,टावर नम्बर–02 लोटस जिंक, सैक्टर–135 नौएडा तथा श्री यदवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह हाल निवासी ग्राम नंगली–नगला, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर व मूल निवासी ग्राम करहैड़ा, जिला गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से फार्म हाउसों का क्रय–विक्रय बाहरी व्यक्तियों को भ्रामक जानकारी देते हुए किया जा रहा है। अवैध फार्म हाउसों पर रोक लगाने एवं पुश्ते की सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित के विरुद्ध कठोरात्मक, विधिवत यथा–भूमाफिया/गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जिला प्रशासन एवं पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर से किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

7- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस [illegible] गौतमबुद्धनगर ने अपने पत्र संख्या सीए/सीपी-05/2020 अगस्त 2020 द्वारा हिण्डन नदी का डूब क्षेत्र में जो पुश्ता रोड से प्रारम्भ होकर ग्राम [illegible] तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 10,000 है, जिसमें नदी में कभी भी जल स्तर बढ़ने पर सभी लोगों को जन धन की हानि होने की सम्भावना है। इसलिए ऐसे स्थानों पर रह रहे लोगों द्वारा जिस प्रकार से अवैध कब्जा कर निर्माण/विस्तार किया गया है, के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग से यथावश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

8- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जनपद–गौतमबुद्धनगर में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(Flood Plain Zone) नौएडा, ग्रेटर नौएडा व यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, किन्तु प्राधिकरणों द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(Flood Plain Zone) की भूमि पर नियोजित विकास का कार्य नहीं किया जाता है और इन डूब क्षेत्रों में स्थित भूमि के निकट तक प्राधिकरण अवसंरचनात्मक/ नियोजित विकास कार्य कराते हैं, अतएव अनधिकृत कॉलोनी/प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया एवं भूमि की खरीद फरोख्त करने वाले तत्वों को भोली–भाली जनता को सस्ते प्लाट का झाँसा देकर ठगी करने का अवसर प्राप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसी डूब क्षेत्र की भूमि के निकट तक प्राधिकरणों के पहुँच मार्ग उपलब्ध रहते हैं, इसलिए अनधिकृत एवं अवैध कोलोलाइजेशन/प्लाटिंग/निर्माण की प्रवृति तेजी से बढ़ती जा रही है। यद्यपि प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती रहती है, परन्तु इसके बावजूद भी इस पर पूर्णविराम लगाना सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद–गौतमबुद्धनगर में सस्ती आवास सुविधा के लालच में आम जनमानस डूब क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा फैलाए जा रहे अवैध एवं अनधिकृत कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग के जाल में आसानी से फंस जाता है। विगत कई वर्षो से यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब–क्षेत्र में हुए अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण कार्यो के मानव सृजित आपदा के रूप में जनधन की क्षति के प्रतिकूल स्थिति के उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है।

9- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3366/सिंचाई/जी, दिनांक 29.12.2017 में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के अतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में भू माफियाओं द्वारा अवैध/अनधिकृत कोलोनाइजेशन/ प्लाटिंग करके हिण्डन एवं यमुना नदी के प्रवाह (नदी की धारा) तक स्थायी मकान व व्यवसायिक उद्देश्य से दुकान आदि के रूप में स्थायी निर्माण कर लिये गये है, जिससे वहाँ पर आबादी नदी की पानी की धारा तक पहुंच गयी है, जिससे हिण्डन एवं यमुना नदी का बैक-फ्लो एवं वर्षा के समय अधिक पानी की मात्रा आने पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहेगा। जैसाकि वर्ष 2013 के जून माह में उत्तराखण्ड में हुई मूसलाधार वर्षा ने नदी के साथ बसी आबादी में भारी तबाही मचाई थी तथा इसी तरह वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आने से नदी के डूब क्षेत्र में बसे ग्रामों व शहरी क्षेत्र में जन-धन की व्यापक क्षति हुई थी। हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में किये जा रहे अनियोजित, अनधिकृत एवं अवैध निर्माण के मानव सृजित कारणों से आपदाओं की विषम स्थिति में बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि की प्रबल सम्भावना है।

10- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में अनियोजित विकास होने से, उन इलाकों में मलिन बस्तियाँ बढ़ जाएंगी, जिनमें वांछित अवस्थापना एवं नागरिक सुविधाओं का अत्यन्त अभाव होना स्वाभाविक है। इसके साथ डूब क्षेत्र में कराये जा रहे अनियोजित/अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों से ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों में भू-माफिया तत्व भू सम्पत्तियों के अवैध कारोबार को

गलत ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भोले भाले निर्दोष लोगों को आपदा की विषम स्थिति में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही आपदा प्राधिकरण के सदस्य मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर भूकम्पीय गतिविधियों की दृष्टि से सीज़्मिक जोन-IV में स्थित है और अधिसूचित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत न कराने के कारण बहुमंजिली इमारतों में भूकम्परोधी तकनीकी का पालन नहीं किये जाने की सम्भावना है, जिससे भविष्य में किसी आपदा के आने पर बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है।

11- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्राधिकरणों के महायोजना में हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में नियोजित किया गया है। जैसे कि नौएडा महायोजना-2031 में उपरोक्त नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में नियोजित करने के संबंध में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं-

"Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed b roadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this is basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river bank and over exploitation of water in Delhli has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drains. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development projet. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

12- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदियों का डूब क्षेत्र नौएडा, ग्रेटर नौएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का नियंत्रण प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में ही है और इस सम्पूर्ण क्षेत्र का सभी प्रकार के विकास एवं रख-रखाव के दायित्व का निर्वहन भी तीनों प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

13- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Application no 89/2013, आकाश वशिष्ट एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20 मई 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अस्थाई एवं स्थायी प्रकृति के अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों को रोकने हेतु आदेश पारित किये गये है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मई, 2013 का सारवान अंश निम्नवत है:-

".....It is conceded before us by all learned counsel appearing for respective Authorities, Corporations, NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana that there are

unauthorized and illegal constructions raised on the flood plain of river Yamuna. These constructions have been raised without permission of any competent authority. On the contrary, these Authorities including the Irrigation Department of State of Uttar Pradesh and other Authorities claim to have issued Notices to the persons who have raised unauthorized and illegal constructions upon the flood plain of river Yamuna, but rarely of any effect.

It is an admitted position in law that construction upon flood plain area is prohibited. It not only affect the natural flow of the river ***but even causes environment problems besides raising risk to human life and property.***

....

In view of the above circumstances, we hereby issue ad interim injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

We hereby direct the NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana to specifically file Plans/Maps showing extent of one in 25 years flood plain zones. ...."

14- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-5188/2011, मूल चन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 26.04.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

"......Once there is nothing on record to demonstrate that constructions have been carried out after map has been sanctioned then this Court cannot come to the rescue and reprieve of the petitioner and writ of mandamus cannot be issued by this Court directing the respondents not to demolish any constructions over the land in dispute i.e. residential house of the petitioners in their land situated at village Mamura district Gautam Buddha Nagar. Even if the land was not acquired by the State, the constructions were raised without seeking permission and the petitioner will have no right to claim any protection for such illegal constructions.."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से स्वतः स्पष्ट है कि अवैध निर्माण का विधिक स्वरूप आरम्भतः शून्य(void ab initio) है।

15- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1417बी(1) 09-27-रि-02-18/वाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, सिंचाई के पत्र दिनाँक 19.09.2012 एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक दिनाँक 20.06.2013 के अनुक्रम में जारी कार्यवृत्त दिनाँक 27.06.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि जनपद-गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरणों के अधिसूचित

क्षेत्र के अंतर्गत स्थित डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में होने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माण क्षेत्र के विरूद्ध कार्यवाही हेतु तीनो प्राधिकरणो का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

16- इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण अनुमन्य नहीं है। इस संबंध में विशेष सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-9-21सि.-6/बाढ़/71 दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-1417बी (1) 09-27-सि0-2-18/याद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या-1560/12-27-सि0-3-43एल/08टी0सी0, दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0, दिनांक 19.09.2012:-

"............जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124.437 हे0 में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी हैं। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.........."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

"........ यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए है, की है।........."

17- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अवैध निर्माणों को गिराने तथा नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(घ), 6(छ), 8(1) व 10 में निम्नवत प्राविधान किया गया है:-

2(घ)- "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करें।

6(छ)- भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना;

9(1)- कोई व्यक्ति, उपधारा(2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

10 - यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करें, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

18- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण-को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या– 2159/77–4–10–284भ/91 दिनांक 20.12.2010 द्वारा जारी ग्रेटर नोएडा इडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 2010 के नियम 20.2 व 20.3 के संबंध में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं–

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन है, जो संरचात्मक रूप से असुरक्षित है तथा अस्वास्थ्यकर है या जिनमें निकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवजीवन के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णशीर्णता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनधिकृत विकास– अनाधिकृत विकास के मामलें में मुख्य कार्यपालक अधिकारी–

(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरूद्ध अभियोग चलाया जाना एवं दण्डिक कार्यवाहियां किया जाना सम्मिलित है।

(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

19- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या– 2213/77–4–10–158एन/85 दिनांक 30.11.2010 द्वारा जारी नवीन ओखला विकास क्षेत्र भवन विनियमावली–2010 के नियम 20.2 व 20.3 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं–

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन है, जो संरचात्मक रूप से असुरक्षित है तथा अस्वास्थ्यकर है या जिनमें निकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवजीवन के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णशीर्णता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनधिकृत विकास–अनाधिकृत विकास के मामलें में मुख्य कार्यपालक अधिकारी–

(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरूद्ध अभियोग चलाया जाना एवं दण्डिक कार्यवाहियां किया जाना सम्मिलित है।

(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

20- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING REGULATION, 2010 के नियम 24.1 में निम्नवत् प्राविधान स्थापित किये गये हैं–

24.1 Residential Buildings on plots (other than flatted group housing)

(1) Ground coverage, Floor Area Ratio, height and setbacks shall be as per Table-I appended to these regulations. However, the set back shall be applicable as per regulations prevailing at the time of initial allotment of sector.

(2) Other provisions:

(i) The directions of side, rear set back and gate shall be as per the Setback/ Layout Plan and directions prepared by the Authority from time to time.

(ii) In case of plots being amalgamated with the approval of the Authority, the set back lines in front and adjoining property are to be followed as per Setback Plan.

(iii) Subdivision of individual residential plot or building constructed on it shall not be allowed.

(iv) Only two dwelling units and a servant quarter shall be allowed upto a plot size of 100sqmtrs. For plots above 100 sqmtrs and upto 500sqmtrs maximum three dwelling units shall be allowed. For plots above 500 sqmtrs. maximum four 18 dwelling units shall be allowed. In density calculation 4.5 person per dwelling unit shall be considered in all kind of residential plots. Each servant quarter shall be counted as half dwelling unit.

(v) Stilt parking shall be allowed upto maximum height of 2.4 mtrs upto bottom of beam free from FAR for plot size of 112 sq mtrs and above. However, in case stilt is not provided, parking may be allowed in the setbacks.

(vi) No construction of any kind shall be permitted beyond the building envelope (on set backs) except—

(a) A chajja (projection) of maximum width of 0.75 metres at lintel or rooflevel. No construction of any type shall be permitted over such projections.

(b) Underground water tanks with top flush with the adjoining ground level.

(c) In plots of 200 square metre and above, if required, a temporary guard room of porta cabin 1.5 metre x 1.5 metre shall be permitted after approval by the Authority.

TABLE o.1 (See regulation 24.1)

Ground Coverage, FAR and Setbacks in Residential Plots

S.No	Size of Plot(Sqmtr.)	Ground Coverage(in %age)	Front Setback(Mtr.)	Rear Setback (Mtr.)	Side Setback (Mtr.)	Maximum FAR
1	Upto 50.0	75	1.5	1.5	-	1.8
2	51 to 75	75	1.5	2.0	-	1.8
3	76 to 120	75	2.0	2.4	-	1.8
4	121 to 200	75	3.0	2.4	-	1.8
5	201 to 300	75	3.6	3.0	-	1.8
6	301 to 400	65	4.0	3.0	3.0	1.8
7	401 to 500	65	4.5	3.5	3.0	1.8
8	601 to 750	60	5.0	3.5	3.0	1.5

(i) Maximum building height in all size of plots shall be 15 Metres.

(ii) Total height shall be counted from top of drain to top of building without exception.

(iii) In case the permissible ground coverage is not achieved within setbacks, the setbacks of the preceding category may be followed. In special cases where ground coverage is not achieved in the preceding category also, then Chief Executive Officer may relax the setbacks to the extent he considers fit.

(iv) In the Residential Plots with in the permissible FAR and Ground Coverage equivalent of 40 % area of rear Set Back construction shall be allowed on either side/both side in the rear set back.

21· जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन(चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2016 के अध्याय–नौ में प्राविधान है कि.

प्राधिकरण की ग्रामीण सम्पत्तियों का प्रबन्धन

30.0 ग्रामीण आबादी में भवन निर्माण:– इस विनियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण(नौएडा) में अधिसूचित ग्रामीण आबादी का क्षेत्रफल प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में ग्रामीण आबादी की अवधारणा के लिए मानदण्ड निम्नवत् होंगे:–

1. अधिसूचित नौएडा महायोजना–2031 के "विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र" में दर्शायी गयी ग्रामीण आबादी का चित्रण।
2. नौएडा महायोजना–2031 के "विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र" में दिये गये उपबंध के आलोक में मानचित्र स्वीकृति हेतु भू–उपयोग की छानबीन व संवीक्षा की जानी चाहिए।
3. मानचित्र की स्वीकृति पर विचार करने से पूर्व उपरोक्त संख्या–1 व 2 के मानदण्डों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए तथापित उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिहित समिति में नियोजन, भूलेख, अभियान्त्रिकी, विधि तथा वित्त विभाग के संबंधित पदाधिकारी और जिला गौतमबुद्धनगर के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उक्त समिति को इस सीमा तक यह सुनिश्चित करने और पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहिए कि प्रस्तुत मानचित्र उपरोक्त मानदण्ड संख्या–1 एवं 2 में निर्दिष्ट ग्रामीण आबादी से संबंधित हो।
4. उपरोक्त मानदण्ड–3 में निर्दिष्ट समिति को प्रस्तुत किये गये मानचित्र के संबंध में निर्दिष्ट आबादी भूमि के पूर्ण और वादमुक्त हक/स्वामित्व/कब्जा की संवीक्षा भी करनी चाहिए।

30.1 सेटबेक

भूखण्ड का आकार	अग्र सेटबेक	पृष्ठ सेटबेक	कोने के मूखण्ड हेतु पार्श्व सेटबेक
200 वर्ग मी0 तक	2.0मी0	--	1.2मी0
201 से 500 वर्ग मी0	3.0मी0	--	1.2मी0
500 से 1000 वर्ग मी0	4.5मी0	3.0मी0	3.0मी0
1001 से 2000 वर्ग मी0	10.0मी0	4.5मी0	4.5मी0
2001 से 4000 वर्ग मी0	12.0मी0	6.0मी0	6.0मी0
4000 वर्ग मी0 से अधिक	15.0मी0	6.0मी0	6.0मी0

*500 वर्ग मी0 से अधिक आकार के सभी भूखण्डो के दोनों ओर पार्श्व सेटबेक प्रयोज्य होंगे(कोने के भूखण्ड सहित)।

30.2 भू–आच्छादन एवं फर्श क्षेत्रफल अनुपात

भूखण्ड का आकार	अधिकतम अनुमन्य भू–आच्छादन	अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात (मी0)
200 वर्ग मी0 तक	80%	1.8
201 से 500 वर्ग मी0	75%	1.8
500 से 1000 वर्ग मी0	70%	1.8
1001 से 2000 वर्ग मी0	65%	1.8
2001 से 4000 वर्ग मी0	60%	1.8
4000 वर्ग मी0 से अधिक	55%	1.8

30.3 ऊँचाई

अधिकतम ऊँचाई 15.0 मीटर

टिप्पणी– जहां अपेक्षित सेटबैक छोड़ने के पश्चात् दोनो ओर आबादी वाला भूखण्ड विद्यमान हो वहां 20 मी. स्थल सेटबैक छोड़ने के पश्चात भवन की सीमा के अन्तर्गत भू-गेह की अनुमति प्रदान की जायेगी। भू-गेह(फर्श से छत तक) की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम 2.4मी. और अधिकतम 4.0 मी होगी और इसका उपयोग पार्किंग और भण्डारण के लिए ही किया जायेगा।

22- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध एवं अनधिकृत ढंग से ग्राम–शाहबेरी मे निर्मित बहुमंजिले भवन के अकस्मात गिरने से घटित घटना से मानवजनित हुई आपदा के कारण जनधन की क्षति और हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माण/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के संबंध में शासन के विभिन्न स्तरों से निर्गत निर्देशों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा/नौएडा एवं पुलिस आयुक्त के पत्रों से दो प्रकार की स्थितियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं–

(i) जहाँ एक ओर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम–शाहबेरी में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के कारण जो घटना घटित हुई थी, वह मानव सृजित आपदा की श्रेणी में आती है, जिसमें जानमाल का नुकसान भारी मात्रा में हुआ था, वहीं दूसरी ओर हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अनियंत्रित अवैध एवं अनधिकृत कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण, जो उपरोक्तानुसार उल्लिखित मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के विरूद्ध भी किये गये हैं, के कारण न केवल मानवजनित आपदा भविष्य मे सम्भावित है बल्कि इस मानवजनित अवैध एवं अनधिकृत कृत्य के कारण भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की भी सम्भावना बलवती रहेगी, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर जनधन की क्षति सम्भावित है, इसलिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा ऐसी सम्भावित मानवजनित/प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत जनधन की क्षति को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब विचार किया जाना प्रासंगिक होगा।

(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के पत्र दिनांक 30.04.2020 के अन्तिम प्रस्तर के बिन्दु संख्या–1 में अपेक्षा की गयी है कि चूँकि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध व अनधिकृत निर्माणों के नही रूकने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब ऐसे अवैध/अनधिकृत निर्माणों से संबंधित भवनों/फ्लेटस के विक्रय पत्रों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाये।

(iii) इस संबंध में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की जो विनियमावली भी बनाई गयी है, जिसमें स्वतः स्पष्ट प्राविधान है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की अनुमति के बिना उनके अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की कार्यवाही नहीं हो सकती है अर्थात यह एक mandatory प्राविधान है।

(iv) उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत जहाँ एक ओर न केवल भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए किये जाने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को रोका जाना आवश्यक है वही दूसरी ओर इस प्रकार के भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए एवं डूब–क्षेत्र में सैद्धान्तिक रूप से आवासीय गतिविधियाँ अनुमन्य न होने बावजूद आवासीय उद्देश्य से अवैध एवं अनधिकृत ढंग से की जाने वाली कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण को भविष्य में मानवजनित/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावनाओं के दृष्टिगत जन धन की क्षति को बचाने के लिए न केवल अवैध एवं अनधिकृत निर्माण बल्कि इस प्रकार के निर्माण की उत्पत्ति के श्रोत क्रय–विक्रय को भी नियंत्रित किया जाना समीचीन होगा, ताकि भविष्य में किसी मानवजनित/प्राकृतिकजनित आपदा के कारण जन धन की क्षति की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

23- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के फलस्वरूप सम्भावित मानव/प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली जन धन की क्षति को ध्यान में रखते हुए क्रय–विक्रय को नियंत्रित करने हेतु ऐसे विक्रय दस्तावेजों को निबन्धन के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के साथ कार्यालय आदेश संख्या–627 (1–10)

एस0डी0–डी0एम0/2019, दिनाँक 20.06.2019 निर्गत किया गया था, जिसमें निम्न [illegible] स्थापित किये गये थे

"....पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जन धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये डूब क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित विलेखों के निबन्धन हेतु प्रस्तुतिकरण के समय मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 1417सी-27-सि0-2-81/बाढ़/09, दिनाँक 16.03.2010 क्रेता पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा प्रश्नगत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के विलेख को निबन्धन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा-

1– सिंचाई विभाग, द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रश्नगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) पर निर्माण किया जाना अनुमन्य होगा।

2- सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र कि प्रश्नगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) का भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों को पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब-क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के विलेख को पंजीकरण हेतु स्वीकार किया जाएगा।..."

24- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अवमानना वाद संख्या–6320/2019 श्रीमती राजन यादव बनाम श्री ब्रजेश नारायन सिंह, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर योजित की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रमशः दिनाँक 18.11.2019 व 05.12.2019 को निम्नवत आदेश पारित किया गया था–

Order dated on 18-11-2019

"....In the instructions dated 1.11.2019, the respondent has admitted that he has flouted the writ court order by restraining the Registrar, Registration from registering the transfer/sale deed. In view thereof, the respondent-Sri Brijesh Narain Singh, District Magistrate, Gautam Budh Nagar, shall show cause as to why charge may not be framed under the Contempt of Courts Act. List on 5 December 2019."

Order dated on 05-12-2019

".....Shri Sudhanshu Srivastava, learned counsel appearing for the opposite party submits that the order dated 20 June 2019, restraining the public to get the sale deed registered has been withdrawn vide order dated 5 December 2019. The report of the Sub Divisional Magistrate, Dadri, Gautam Buddh Nagar, dated 24 November 2019, has been placed on record, wherein, it has been noted that the owner/ purchaser of the land have raised constructions in violation of the writ court order without obtaining approval from the concerned local bodies or development authorities..."

25- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 70786/2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 08.03.2013 को पारित आदेश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उक्त अवमानना वाद योजित किया गया था। याचिका संख्या 70786/2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2013 का सारवान अंश निम्नवत् है–

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051610

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
106मि	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			106मि(120139000106011l)	1.4550	1) 1/1	1) 1.4550	0.00
							1.4550	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 1.4550 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (1.4550)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		106मि(1201390001060111)			106मि(1201390001060111)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

8.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

9)अभ्युक्ति :

र्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T201611277102 1046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO)

दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:47:37 तहसील : दादरी

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी

मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:47:37

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051619

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			105मि(1201390001050111)	0.7260	1) 1/1	1) 0.7260	0.00
							0.7260	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.7260 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.7260)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		105मि(1201390001050111)			105मि(1201390001050111)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

f2

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T2016112771021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO) **दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:50:45 तहसील : दादरी** यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **SHYAM BABU GAUR** तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:50:45 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051620

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि.	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			105मि. (1201390105200211)	0.1720	1) 1/1	1) 0.1720	0.00
							0.1720	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1720 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1720)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

		105मि. (1201390105200211)			105मि.(1201390105200211)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T201611277102104б धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज उर्फ बेगराम उर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO)
दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:51:03 तहसील : दादरी

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी
मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:51:03
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051621

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि..	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			105मि.. (120139010520031l)	0.0480	1) 1/1	1) 0.0480	0.00
							0.0480	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.0480 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0480)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

		105मि.. (120139010520031l)		105मि..(120139010520031l)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T201611277l021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपुर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपुर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO) दिनाँक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:51:24 तहसील : दादरी यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **SHYAM BABU GAUR** तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:51:24 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

141

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051622

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख	तहसील :	जनपद : गौतम बुद्ध	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून,	भाग :	(1)खाता संख्या :
120139	जलालपुर(दादरी)	दादरी	नगर	2025)	1	00002

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि	1) महामहिम राज्यपाल उ.प्र.सरकार की ओर से / राजीव कुमार अधिशासी अभियन्ता हैडवक्र्स खण्ड / आगरा शहर ओखला नई दिल्ली			105मि(1201390105200511)	0.0250	1) 1/1	1) 0.0250	0.20
							0.0250	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.0250 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.20 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0250)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		105मि(1201390105200511)			105मि(1201390105200511)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेवार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PANKAJ KUMAR NIRWAL(REGISTRAR KANOONGO) दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:51:44 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **SHYAM BABU GAUR** तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:51:44 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051623

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख	तहसील :	जनपद : गौतम बुद्ध	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून,	भाग :	(1)खाता संख्या :
120139	जलालपुर(दादरी)	दादरी	नगर	2025)	1	00035

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि	1) सुरेन्द्र सिंह भाटी / रघुनाथ सिंह / बिसरख जलालपुर	1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T201911270207188 / 20-06-2019 / विक्रय	1373फ	105मि(1201390105200612)	0.0200	1) -	1) 0.0200	8.10
							0.0200	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.0200 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 8.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0200)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T201911270207188 / 20-06-2019 / विक्रय / SATYA PRAKASH SHARMA / 15-02-2024	1.1) ऋषिपाल / बल्लू / नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 1.2) कृष्ण / बल्लू / नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	105मि(1201390105200612)	1.1) 0.0066 1.2) 0.0067	1.1) सुरेन्द्र सिंह भाटी / रघुनाथ सिंह / बिसरख जलालपुर	105मि(1201390105200612)	1.1) 0.0200

	1.3) नन्दे / बल्लू / नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)		1.3) 0.0067		

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T201911270207188/ 20.06.19 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-35 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.0200 है0 अपना सम्पूर्ण भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता ऋषिपाल कृष्ण व नन्दे पुत्रगण स्व0 बल्लू निवासीगण ग्राम बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता सुरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का.

12.01.2021

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO) **दिनाँक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:52:04 तहसील : दादरी** यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	**मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी** मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:52:04 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051624

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00231

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि	1) रघुनाथ सिंह / भीम सिंह / नि. ग्राम 2) बीरेन्द्र सिंह / अनूप सिंह / नि. ग्राम 3) होरेन्द्र सिंह उर्फ हरीराम / अनूप सिंह / नि. ग्राम 4) जगपाल / बाबूराम / नि. ग्राम 5) चन्द्रो / स्व.बाबूराम / नि. ग्राम 6) रबिन्द्र सिंह / महताब / नि. ग्राम 7) राजेन्द्र सिंह / महताब / नि. ग्राम 8) सुरेन्द्र सिंह / महताब / नि. ग्राम		पू.1360फ	105मि(120139010520812)	0.4590			91.40

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.4590 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 91.40 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

	अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		
		105मि(1201390105200812)			105मि(1201390105200812)	

1) कुर्की : कार्यालय तहसीलदार दादरी, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 1118/वा.वा.न. /2023-24 दि. 23.03.2024 के अनुसार बाकीदार नागेन्द्र चोपाल पुत्र दुखन चोपाल नि. मसान खोन बलहा वार्ड नं. 13 थाना कुशेश्वर ग्राम बहरामपुर ऊर्फ मंसखो दरभंगा बिहार पर स्टाम्प देय की बकाया धनराशि अंकन 173270/- रू. व ब्याज की वसूली हेतु भूमि खा.सं. 231 के ख.नं. 105मि रकबा 0.0381 है. भूमि को उपजिलाधिकारी दादरी के आदेश दि. 27.02.2024 के अन्तर्गत कुर्क किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2025 (डिजिटल हस्ताक्षर : SHYAM BABU GAUR / 27-12-2025)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) --- (डिजिटल हस्ताक्षर: PANKAJ KUMAR NIRWAL / 18-12-2019)

2) किया। ह.स.र.का. 1-10-2008 --- (डिजिटल हस्ताक्षर: PANKAJ KUMAR NIRWAL / 18-12-2019)

3) शा.प्र.महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.सै.41नौएड ने वीरेन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह को अंकन 500000/-ऋण देकर भूमि खा.स. 4 के ख.न. 105मि, 629मि,का 1/8भाग व खा.स. 9 के ख.न. 45मि, 89मि, 596मि,630मि, 751मि का 1/8भाग को बन्धक किया। ह.स.र.का. 9-9-2008 (डिजिटल हस्ताक्षर: PANKAJ KUMAR NIRWAL / 18-12-2019)

4) शा.प्र.महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.सै.41नौएड ने हरेन्द्र सिंह ऊर्फ हरीराम पुत्र अनूप को अंकन 500000/- ऋण देकर भूमि खा.स. 4 के ख.न.105मि, 629मि, का 1/8भाग व खा.स. 9 के ख.न.45मि, 89मि, 596मि, 630मि, 751मि का 1/8भाग को बन्धक किया। ह.स.र.का. 9-9-2008 (डिजिटल हस्ताक्षर: PANKAJ KUMAR NIRWAL / 18-12-2019)

5) शा.प्र.सिडिकेट बैंक बिसरख ने बाबूराम पुत्र भीम सिंह को अंकन 490000/-ऋण देकर भूमि खा.स. 4 के ख.न. 105म, 629म का 1/4भाग व खा.स. 316 के ख.न. 768म का 1/20भाग व खा.स. 9 के ख.न. 45म, 89म, 596म, 630म, 751म का 1/4भाग व खा.स. 14के ख.न. 650 का 1/8 कुल रकबा 2.9342है. को बन्धक (डिजिटल हस्ताक्षर: PANKAJ KUMAR NIRWAL / 18-12-2019)

6) शा.प्र.सिंडिकेट बैंक बिसरख ने रघुनाथ सिंह पुत्र भीम सिंह को अंकन 140000/-ऋण का आदेश खा.स. 346पर दर्ज है। ह.स.र.का.28-4-2007 (डिजिटल हस्ताक्षर: PANKAJ KUMAR NIRWAL / 18-12-2019)

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय मि.न.1846/3-9-08 को आदेश हुआ कि खा.स. 4 के ख.न. 629मि/2.3900 व खा.स. 9 के ख.न. 630मि/0.7590है. कुल 3.149 है. का 1/4भाग बकदर 0.78725है. मा. परतानुसार से वसीयत दि. 14-6-98 के आधार पर मृतक अनूप सिंह पुत्र स्व. भीम सिंह नि.ग्राम का नाम पृथक करके मनोज,

2) रूपेश पुत्रगण वीरेन्द्र सिंह व सविता पुत्री वीरेन्द्र सिंह को 1/2भाग व मगन सिंह, हेमन्त, राहुल व योगेश पुत्रगण हरेन्द्र सिंह व टेकचन्द ना.बा. आयु 17 वर्ष पुत्र हरेन्द्र सिंह सं. श्रीमति रजनी माता स्वयं को 1/2 भाग समस्त नि.ग्राम का नाम अन्य खातेदारो के साथ दर्ज हो। खा.स. 4 व 9 की बाबत पक-11क आदेश

3) दि. 28-9-01 निरस्त किया जाता है। ह.स.र.का. 11-9-2008 ----

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T202111270201257/ 05.02.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से 1/12 अपना सम्पूर्ण भाग रकबा 0.0383है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता रविन्द्र सिंह पुत्र श्री महताब सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता जगपाल पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 22.02.2021

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T202111270202009/ 02.03.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से सम्पूर्ण रकबा 0.0382है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महताब सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता आजाद पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 09.03.2021

6) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.न. T202111270222100/ 04.02.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0382है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता रघुनाथ सिंह पुत्र स्व0 श्री भीम सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता सुरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 16.03.2022

7) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202111270221678/ 15.11.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0381है0 अपना सम्पूर्ण भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री महताब निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 25.03.2022

8) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202111270222098/ 07.04.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0382है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता रघुनाथ सिंह पुत्र स्व0 भीम सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता करन सिंह पुत्र श्री रामफल निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 28.04.2022

9) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.न T202111270221677/ 08.04.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0209है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता नन्दन कुमार व चन्दन कुमार पुत्रगण श्री उमेश चौधरी निवासीगण ग्राम हरौला सै0 05 नोएडा तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो । ह.र.का. 13.05.2022

10) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270219449/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0042है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131, ग्राम लखनावली तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता रंजीत कुमार पुत्र ननके निवासी ग्राम कमालपुर तहसील संडीला जिला हरदोई उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 06.02.2023

11) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270219448/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0041है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता भगवानदीन पुत्र मुरली निवासी ग्राम कहारन टोला संडीला जिला हरदोई उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 06.02.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270219447/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0041है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता रामलेखावन पुत्र भीमा निवासी ग्राम बेहंडेर कांसिपुर, तलौली जिला हरदोई उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 06.02.2023

13) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270219446/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0041है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता श्रीमती संकुता पत्नी राम सिंह निवासी ग्राम पराचैली पुनिया जिला हरदोई उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 06.02.2023

14) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270219445/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0054है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता श्रीमती टॅरा वती पत्नी मुनेन्द्र निवासी ग्राम सुरसा तुन्दवल बिलग्राम जिला हरदोई उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 06.02.2023

15) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270219443/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0041है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता श्रीमती सरिता कनौजिया पत्नी विनोद कुमार निवासी ग्राम गाँधी म0नं0 273 जिला फर्रूखाबाद उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 06.02.2023

16) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270219444/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-231 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.4590है0 में से रकबा 0.0054है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता दीनू पुत्र हनीफ निवासी म0नं0 131 ग्राम लखनावली तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता श्रीमती विघा देवी पत्नी विजय प्रकाश निवासी ग्राम तुन्दवल बिलग्राम जिला हरदोई उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 06.02.2023

17) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय आर.सी.-9 वाद सं. 20231114100742000355 दि. 25.02.2023 को आदेश हुआ कि खाता सं. 230, 231, 234, 279, 354, 355 से मृतक वीरेन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह के स्थान पर मनोज भाटी, रूपेश भाटी पुत्रगण वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। ह.र.का. 06.03.2023

18) कार्यालय तहसीलदार दादरी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 2256/वा.वा.न./2022-23 दि. 24.03.2023 बाकीदार दीनू पुत्र हनीफ नि. लखनावली तह. व जिला गौतमबुद्धनगर सम्पत्ति स्थित ग्राम बिसरख जलालपुर पर स्टाम्प देय की बकाया धनराशि अंकन 285020/- व अन्य अदा न करने पर खा.सं. 231 के ख.नं. 105मि/0.0381है. भूमि को उपजिलाधिकारी दादरी महोदय के आदेश दि. 02.11.2022 के द्वारा कुर्क किया जाता है। ह.र.का. 29.03.2029

Data Digitally Signed by: दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:52:23 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:52:23 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051625

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि...	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			105मि... (1201390105200411)	0.0050	1) 1/1	1) 0.0050	0.00
							0.0050	

कुल गाटे- 1   कुल क्षेत्रफल- 0.0050 (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये   कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0050)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

149

			105मि...(1201390105200411)		105मि...(1201390105200411)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 --- को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T2016112771021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपुर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO) दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:52:43 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **SHYAM BABU GAUR** तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:52:43 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051626

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00399

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
105मि	1) अमित ना.बा.आयु 14वर्ष / कमलेश माता पुत्र ओम प्रकाश / नि. ग्राम 2) कवित ना.बा.आयु 12वर्ष / कमलेश माता पुत्र ओम प्रकाश / नि. ग्राम 3) समित नाबा. आयु 17 वर्ष स. / कमलेश माता पुत्र ओम प्रकाश / नि. ग्राम		1396फ	105मि(1201390105200912)	0.2050	1) 1/3 2) 1/3 3) 1/3	1) 0.0684 2) 0.0683 3) 0.0683	6.25
							0.2050	

कुल गाटे- 1   कुल क्षेत्रफल- 0.2050 (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - 6.25 रुपये   कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2050)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		105मि(1201390105200912)			105मि(1201390105200912)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) आदेशानुसार श्रीमान तह. महोदय के आदेश दि. 12.3.2020 को आदेश हुआ कि खा.स. 399 पर दर्ज सुमित व अमित पुत्रगण ओमप्रकाश को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 09.07.2020 (डिजिटल हस्ताक्षर: NEERAJ BHATI / 09-07-2020)

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक मि.न.313/8-12-08सम्बन्धी आदेश खा.स. 4 पर दर्ज है। ह.स.र.का. 26-3-2009.---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202011270202039/05.08.2020 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050 है0 में से अपना सम्पूर्ण 1/3 भाग भूमि यानि रकबा 0.0683 है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता सुमित पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम खारिज करके क्रेता पदम यादव पुत्र श्री लख्मी यादव निवासी पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 14.08.2020

3) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T202011270211674/ 31.12.2020 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050 है0 में से रकबा 0.0042 है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता पंकज कुमार मिश्रा पुत्र श्री जितेन्द्र मिश्रा निवासी मुसहरी टोला बेलबाडी तहसील किसरी बेलवरी अरपिक बिहार का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 12.01.2021

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T202011270218246/ 05.01.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050है0 में से रकबा 0.0083है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता इन्द्रजीत पाल पुत्र श्री रामदास निवासी 36/1 ग्राम फत्तूपुर पोस्ट पठखौली तहसील पटटी प्रतापगढ का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 12.01.2021

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.न. T202011270215374/ 05.02.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050है0 में से रकबा 0.0108है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता श्रीमती रीना पत्नी श्री अनुराग सिरोही निवासी म0नं0 ए 36ए/हिण्डन विहार सै0 49 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 18.02.2021

6) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.न. T202011270215372/ 05.02.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050है0 में से रकबा 0.0117है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता अनुराग सिरोही पुत्र श्री दिलावर सिंह निवासी म0नं0 ए 36ए/हिण्डन विहार सै0 49 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 18.02.2021

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T202011270220409/ 06.02.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050है0 में से रकबा 0.0125है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता हरवीर सैनी पुत्र श्री मोमराज सैनी निवासी ए-510 राहुल विहार गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद मु0 आम ओर से पदम यादव पुत्र श्री लख्मी यादव निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता श्रीमती सुभांगी देवी मौर्या पत्नी श्री ज्वाला प्रसाद मौर्या निवासी- ब्लॉक नं0 17/8 टेगोर रोड गोल्फ कोर्स कालोनी कैन्ट कानपुर नगर उ0प्र0 का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 12.03.2021

8) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T202011270212926/ 06.07.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050 है0 में से रकबा 0.0125 है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता साजन साहनी पुत्र श्री चन्देश्वर साहनी निवासी 58 हजरतपुर वाजिदपुर नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 13.07.2021

9) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.नं. T202011270212927/ 06.07.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050 है0 में से रकबा 0.0100 है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता रामप्रवेश महतो पुत्र श्री रामवृक्ष महतो निवासी ग्राम पचनौर वार्ड नं0 06 मुरही सीता मढी बिहार का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 13.07.2021

10) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202111270217292/ 29.09.2021 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050 है0 में से रकबा 0.010033 है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता रामप्रवेश महतो पुत्र श्री रामवृक्ष महतो निवासी ग्राम पचगौर वार्ड सं0 06 मुरही सीतामढी बिहार का नाम पृथक करके क्रेता पूनम देवी पत्नी श्री धर्मेन्द्र साह निवासी ग्राम मथुरापुर खुर्द उर्फ जोकी पोस्ट बसुआ जिला मुजफ्फरपुर बिहार का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 04.12.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270222864/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050है0 में से रकबा 0.0045है0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता राहुल कुमार पुत्र

ox

श्री सुनिल कुमार निवासी मौ0 कोलियान अवागढ एटा मु0 आम ओर से पदम यादव पुत्र श्री लखमी सिंह निवासी म0न0 63 पर्थला खंजरपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता श्रीमती रेखा प्रसाद पत्नी श्री राजेश प्रसाद निवासी शान्ती नगर
ग्राम युसुफपुर चकशाहबेरी परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर व श्रीमती मिवकी देवी पत्नी श्री सिपाही भगत निवासी ग्राम बर्तवालिया सिवान बिहार का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 24.12.2022

12) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270222863/ 03.12.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050हे0 में से रकबा 0.0051हे0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता राहुल कुमार पुत्र
श्री सुनिल कुमार निवासी मौ0 कोलियान अवागढ एटा मु0 आम ओर से पदम यादव पुत्र श्री लखमी सिंह निवासी म0न0 63 पर्थला खंजरपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता ओमपाल सिंह पुत्र श्री रमेश चंद निवासी एच न0 64 हैवतपुर
युसुफपुर चकशाहबेरी हैवतपुर जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 24.12.2022

13) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.न T202011270217618/ 23.09.2022 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050हे0 में से अपना सम्पूर्ण रकबा 0.1367हे0 अपना सम्पूर्ण भाग भू-राजस्व परतानुसार
भूमि से विक्रेता अमित यादव व कवीत यादव पुत्रगण श्री ओम प्रकाश निवासीगण ग्राम बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता पदम सिंह पुत्र श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी
जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 13.03.2023

14) कार्यालय तहसीलदार दादरी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 2253/वा.वा.न./2022-23 दि. 24.03.2023 बाकीदार पदम सिंह पुत्र लख्मी नि.ग्राम पर्थला खंजरपुर सै. 122 नोएडा सम्पत्ति स्थित ग्राम बिसरख जलालपुर पर स्टाम्प देय की बकाया धनराशि अंकन
650960/- व अन्य अदा न करने पर खा.सं. 399 के ख.नं. 105मि/0.2050है. में से 0.1667है. भूमि को उपजिलाधिकारी दादरी महोदय के आदेश दि. 07.09.2022 के द्वारा कुर्क किया जाता है। ह.र.का. 29.03.2029

15) आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक महोदय मि.नं. T202211270208421/ 04.03.2023 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050हे0 में से रकबा 0.0100हे0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र
श्री लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता दीनानाथ पुत्र श्री रामकिशुन निवासी आगापुर उर्फ गुलारिहा पो0 छपरा भगर्वी जिला संत कबीर नगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का.
03.04.2023

16) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.न. T202211270208422/ 04.03.2023 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-399 के गाटा संख्या 105मि क्षेत्रफल 0.2050हे0 में से रकबा 0.0100हे0 भू-राजस्व परतानुसार भूमि से विक्रेता पदम सिंह पुत्र श्री
लख्मी निवासी ग्राम पर्थला खंजरपुर सै0 122 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम पृथक करके क्रेता राहुल पुत्र श्री रामकिशुन निवासी ई 176 सै0 27 नोएडा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का.
06.04.2023

Data Digitally Signed by:NEERAJ BHATI(REGISTRAR KANOONGO)
दिनॉक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:53:07 तहसील : दादरी

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी
मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:53:07
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051627

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
				105मि(1201390105200111)	0.1100	1) 1/1	1) 0.1100	0.00
105मि	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .						0.1100	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1100 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1100)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		105मि(1201390105200111)			105मि(1201390105200111)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

ox

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबां 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T2016112771021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपुर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपुर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO)

दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:53:30 तहसील : दादरी

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी

मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:53:30

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

efox

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051612

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख	तहसील :	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग :	(1)खाता संख्या :
120139	जलालपुर(दादरी)	दादरी			1	00002

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
104मि	1) महामहिम राज्यपाल उ.प्र.सरकार की ओर से / राजीव कुमार अधिशासी अभियन्ता हैढवक्र्स खण्ड / आगरा शहर ओखला नई दिल्ली			104मि(1201390104200311)	0.1549	1) 1/1	1) 0.1549	1.22
							0.1549	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1549 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 1.22 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1549)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		104मि(1201390104200311)			104मि(1201390104200311)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :
(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PANKAJ KUMAR NIRWAL(REGISTRAR KANOONGO) दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:48:08 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **SHYAM BABU GAUR** तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:48:08 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051613

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
104मि	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			104मि(1201390104200111)	0.0300	1) 1/1	1) 0.0300	0.00
							0.0300	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.0300 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0300)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		104मि(1201390104200111)			104मि(1201390104200111)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति : खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है.

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T2016112771021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO) दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:48:30 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:48:30 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051614

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) :	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष :	भाग :	(1)खाता संख्या :
120139	बिसरख जलालपुर(दादरी)	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	1	00393

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
104मि	1) सन्तपाल / रामजी लाल / नि. ग्राम		1395फ	104मि(1201390104200412)	0.1535	1) 1/1	1) 0.1535	9.90
							0.1535	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1535 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 9.90 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1535)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		104मि(1201390104200412)			104मि(1201390104200412)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PANKAJ KUMAR NIRWAL(REGISTRAR KANOONGO) दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:48:50 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **SHYAM BABU GAUR** तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:48:50 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051615

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
104मि.	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			104मि. (1201390104200211)	0.4580	1) 1/1	1) 0.4580	0.00
							0.4580	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.4580 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.4580)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

fox

		104मि. (1201390104200211)			104मि.(1201390104200211)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T2016112771021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपुर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालपुर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO) दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:49:18 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **SHYAM BABU GAUR** तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:49:18 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051616

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
104मि	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			104मि(1201390001040311)	4.5761	1) 1/1	1) 4.5761	0.00
							4.5761	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 4.5761 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (4.5761)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		104मि(1201390001040311)			104मि(1201390001040311)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T201611277l021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बंजर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO)
दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:49:40 तहसील : दादरी
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी
मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:49:40
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051617

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
104मि	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			104मि(1201390001040311)	4.5761	1) 1/1	1) 4.5761	0.00
							4.5761	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 4.5761 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (4.5761)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		104मि(1201390001040311)			104मि(1201390001040311)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T201611277102 1046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज ऊर्फ बेगराम ऊर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO) दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:50:02 तहसील : दादरी यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:50:02 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

fox

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1201392026051618

ग्राम क्रमांक : 120139	ग्राम का नाम (परगना) : बिसरख जलालपुर(दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
104 मि.	1) ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण / . / .			104 मि.(1201390001040111)	0.1535	1) 1/1	1) 0.1535	0.00
							0.1535	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1535 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1535)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		104 मि.(1201390001040111)			104 मि.(1201390001040111)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

about:blank

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 9-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर खसरा न. 341मि./0.1010 है. के स्थान पर 0.0130है. दर्ज हो तथा शेष रकबा 341मि/0.0880है. खा.स. 161पर पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 11-6-2015 ---

2) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 22-6-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 360मि/0.0630है. में से ग्रेटर नोएडा वि.प्र. के नाम सही रकबा 0.0500है. तथा शेष रकबा 0.0130है. खा.स. 6 पर अजब सिंह, पुत्र परंसराम व महेन्द्र पुत्र भूले व ओमवती पत्नी जगदीश नि.ग्राम का नाम पूर्व

3) की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 22-6-2015 ---

4) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 28-8-15 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज ख.न. 771/0.1140है. को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते से निरस्त करके खा.स. 135 पर दर्ज किया जाता है। ह.र.का. 28-9-2015 ---

5) आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक के आदेश दि. 17-6-16 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 के ख.न. 515/0.8730है. के स्थान पर सही रकबा 515मि/ 0.4730है. दर्ज हो तथा शेष रकबा खा.स. 285 के अन्य खसरों के साथ ख.न. 515मि/0.4000है. पूर्व की भांति दर्ज हो। ह.र.का. 21-6-2016

6) ---

7) आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि. 26.11.16 के क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर वाद सं. डी-200911270074 अन्तर्गत धारा 157कक/166/167 यू.पी. जैड ए एण्ड एल.आर.एक्ट सरकार बनाम श्रीमती राजुल मोदी ग्राम बिसरख जलालपुर जनपद गौतमबुद्धनगर आदेश दि. 25.7.16 को आदेश हुआ कि श्रीमती राजुल मोदी पत्नी ललित मोदी नि.ई-20 लाजपतनगर नई दिल्ली द्वारा क्रय की गयी ग्राम बिसरख जलालपुर तह.दादरी स्थित भूमि खसरा नं. 371/2 रकबा 3-5-0 बीघा पु. को बैनामे की तिथि 27.3.2005 से राज्य सरकार में निहित किया जाता है। ह.र.का. 29.11.2016

8) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.10.19 को आदेश हुआ कि मा. राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.2011 के अनुसार खा.सं. 1 के ख.न. 798मि. पर ग्रेटर नोएडा द्वारा अर्जित आदेश दि. 18.3.2010 का यथावत रखते हुये फसली वर्ष 1415-1420फ0 के खा.सं. 119 में दर्ज सहखातेदार वरूण कौशिक पुत्र के.के. कौशिक नि. बी-502 सै. 19 नोएडा व श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नी शिवनारायण नि. सी-412 सै. बी महानगर लखनऊ के बकदर भाग के स्थान पर चन्द्रपाल व नेपाल व गंगन पुत्रगण मक्खन नि.ग्राम खैरपुर गुर्जर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का नाम दर्ज हो। ह.र.का. 19.12.2019

9) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 31.12.19 को आदेश हुआ कि खा.स. 1 पर दर्ज आदेश जो मा.राजस्व परिषद लखनऊ नि.सं. 201/1977 व 194/2007 चन्द्रपाल आदि बनाम करतार सिंह में आदेश दि. 7.3.11 से सम्बन्धित है में फसली वर्ष 1415-1420फ के त्रुटिपूर्ण खा.सं. 119 के स्थान पर सही खा.सं. 219 दर्ज हो। ह.र.का. 31.12.2019

10) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 14.01.2020 के अनुपालन में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 1574/रीडर-एस.डी.एम.दादरी दि. 18.12.2020 वाद सं. T2016112771021046 धारा 31/32 यू.पी.आर.सी. सरकार बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आदि ग्राम बिसरख जलालपुर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 17.12.2020 के आधार पर बिसरख जलालपुर परगना व तहसील दादरी की वर्तमान खतौनी 1421-1426 के खाता सं0 1 के गाटा सं0 746 रकबा 0.5310है0 पर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुये उक्त भूमि पूर्व की भांति बंजर के खाते में दर्ज हो एंव बजंर के खाते में खसरा सं0 746 रकबा 0.2400है0 दर्ज रकबा के स्थान पर 0.2530है0 दर्ज किया जावे। ह.र.का. 06.02.2021

11) आदेशानुसार श्रीमान रा.नि. महोदय के आदेश दि. 29.06.2023 पत्रांक 1970/29.06.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. भूमि से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नाम खारिज करके अपनी शेष भूमि पर पूर्व की भांति ऋषिपाल व कृष्णा व नन्दे पुत्रगण बब्लू व भंवरकली पत्नी स्व. बब्लू नि.ग्राम व बेगराज उर्फ बेगराम उर्फ ढिल्लू पुत्र जस्सू नि.ग्राम का नाम अंतर्गत उ.प्र. रा.स. 2006 की धारा 38(6) के तहत दर्ज हो। ह.र.का. 01.08.2023

12) आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. महोदय के आदेश दि. 11.08.2023 पत्रांक 2056/14.08.2023 के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम बिसरख जलालुपर के खा.सं. 1 के खसरा नं. 520/0.2780है. में से 0.2280है. व 521/0.5440है. में से 0.4940है., 522/0.0510है. पर दर्ज रा.नि. द्वारा पारित आदेश उ.प्र. रा.सं. 2006 की धारा 38(6) आदेश दि. 01.08.2023 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 14.08.2023

Data Digitally Signed by:SATYA PRAKASH SHARMA(REGISTRAR KANUNGO)
दिनांक/समय/स्थान: 19-05-2026 04:50:20 तहसील : दादरी
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHYAM BABU GAUR तहसील : दादरी
मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-05-2026 04:50:20
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 99 /N6T-96/26 दिनांक : 23/4/26

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 142/2026 संजय शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 142/2026 संजय शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा नं0 104, 105 एवं 106, ग्राम बिसरख जलालपुर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर में लगभग 20,000 वर्ग मी0 एरिया पर शमशान घाट, बाउंड्री वाल, प्रार्थना सभा, लकड़ी भण्डारण हेतु गोडाउन, सी0एन0जी0 फर्नेश, गाड़ियो हेतु पार्किंग इत्यादि हेतु कंक्रीटिंग की गयी है, जो कि हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित है, का उल्लेख किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर प्राधिकरण स्तर से की गयी कार्यवाही की आख्या अभिलेखो सहित इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें, जिससे कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में प्रति शपथ पत्र दायर किया जा सके। उक्त ओ0ए0 में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक **25.05.2026** है।

संलग्नकः यथोपरि।

(मेधा रूपम)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

ADM F/R

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
गौतम बुद्ध नगर

पत्रांकः– /तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-5

/

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या– 01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201310
जनपद गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांकः–प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–3/2026/5818 दिनांकः 18.05.2026

सेवा में,
जिलाधिकारी
जिला–गौतमबुद्धनगर।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 142/2026 संजय शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कृते जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक–1667/वाद लि0/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/2026 दिनांक 16 मई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिसिंपल ब्रांच, नई दिल्ली के न्यायालय के मूल प्रार्थना पत्र संख्या–142/2026 संजय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 01.04.2026 जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम बिसरख के खसरा संख्या–104, 105, 106 के हिण्डन नदी डूब क्षेत्र में किये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में एवं राजस्व ग्राम कुलेसरा के हिण्डन नदी डूब/फील्ड जोन के क्षेत्र में किये जा रहे अवैध निर्माण होने के कारण आख्या चाही गयी है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण ग्राम बिसरख जलालपपुर के खसरा संख्या– 104, 105 एवं 106 से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूलेख विभाग द्वारा ग्राम बिसरख जलालपुर के खसरा संख्या–104 व 105 की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि पर ग्रेटर नौएडा वेस्ट की आबादी को दृष्टिगत रखते हुऐ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु नियोजन विभाग द्वारा आधुनिक शमशान घाट का नियोजन किया गया है। शमशान घाट नियोजन के उपरान्त परियोजना विभाग द्वारा उक्त शमशान घाट के निर्माण कार्य हेतु आगणन गठन कर आगणन की वैटिंग आई0आई0टी0 रूड़की से कराकर निविदा आमंत्रित की गयी (प्रति संलग्न)। तदोपरान्त सक्षम स्तर से निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध गठन कर कार्य प्रारम्भ किया गया, जो कि वर्तमान में प्रगति में है।

अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग द्वारा हिण्डन नदी के ओवर फ्लो को रोकने हेतु रेगुलेटर व 12 मी0 चौड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि हिण्डन नदी में बाढ़ आदि के समय जल प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके जिससे नोएडा, ग्रेटर नौएडा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संभावित जान माल की हानि होने से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ग्राम बिसरख के खसरा संख्या–106 पर प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य नही कराया जा रहा है।

सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे रेगुलेटर की छत के ऊपर स्थाई रूप से टीन शेड डालकर शमशान घाट का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अन्तिम संस्कार हेतु लकड़ी के भंडारण हेतु भी

स्थाई टीन शेड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का उल्लंघन नही होगा। ग्रेटर नौएडा वेस्ट में दिन–प्रतिदिन आबादी का घनत्व बढता जा रहा है एवं निकटवर्ती क्षेत्र में कोई भी अन्य शमशान घाट उपलब्ध नही है, जिसके कारण यहां के निवासियों को अन्तिम संस्कार हेतु दूर–दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिससे स्थानीय निवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों द्वारा पूर्व से ही शमशान घाट बनाये जाने का अनुरोध किया गया है/किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ग्राम बिसरख के खसरा संख्या–106 पर प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य नही कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–स्थल के जियोटैग फोटोग्राफ।

18/5/2026

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–3

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर/निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0वाई0/पी0/एस0एल0) महोदय/महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी (विधि) महोदय को सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) महोदय को सादर सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, वर्क सर्किल–3 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–3

ANNEXURE R-6

133

जानपद अभियांत्रिकी विभाग
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROORKEE
ROORKEE- 247 667
E-mail: g.n@ce.iitr.ac.in/ gdranjan@gmail.com
(O): +91-1332-285584 (M): +91-8126924834

डा. जी.डी. रणसिनचुंग आर.एन./*Dr. G.D. Ransinchung R.N.*
प्राध्यापक/*Professor*
Former Coordinator, Transportation Engineering Group
Former Chairman, ISC
Coordinator, STA, PMGSY, NRIDA, Govt., India.
Standing Committee Member, AKC50, Transportation Research Board, Washington D.C., U.S.A.
National Advisory Committee Member on Self-Healing Roads, TIFAC, DST, New Delhi.
B-8 Committee Member, Indian Roads Congress, New Delhi.
H-3 Committee Members, Indian Roads Congress, New Delhi.10.5

Dated: 01.07.2025

To,

IITR/CED/TEG/Vetting/0172025

Senior Manager,
Work Circle-3,
GNIDA, Tower No. 01, 9th Floor, KP-4,
Greater Noida City (Gautambudh Nagar).

VETTING REPORT

Sub: Submission of Vetting Report for Development work of Shamshan Ghat in Village Bisrakh Jalalpur, Greater Noida, Uttar Pradesh.

Ref: (i) Your letter No. Project/Work circle-3/2025/2978 dated 19.06.2025.

Dear Sir,

The estimate and documents pertaining to the "Development work of Shamshan Ghat in Village Bisrakh Jalalpur, Greater Noida, Uttar Pradesh", submitted by the office of Sr. Manager Work Circle-3, Greater Noida Industrial Development Authority, Noida have been thoroughly examined. It has been observed that the suggested items of works and and cost of BOQ are found to be satisfactory for the given site condition, except the grade of concrete considered for **CC roads in the premise of Shamshan Ghat shall be M30 grade concrete in lieu of M25 Grade concrete.** The minimum grade of concrete to be used for CC road shall be M30 grade in accordance with IRC:SP:62-2014. In the light of this slight changes, there shall be slight changes in the BOQ and its rates and subsequent changes in terms of total cost may be re-projected. There is no necessity to re-submit this estimate for vetting due to this small change took placed. All the relevant items of the project are conforming the standard specifications and technical specifications laid out in accordance with PWD's SOR-2020 & MoRTH and DAR-2018 along with GNIDA approved rates. The submitted estimate documents are found in order and items of work considered in the current proposed estimate are found adequate for this particular projet. The total estimated cost for the project is amounting to 1209.19 Lakhs (Twelve Crores Nine Lakhs Nineteen Thousand only) including 1% Labour Cess, 18% GST and 2% contingency on estimated cost. The opinion(s) shared in this report is solely based on the professional experience not of IIT Roorkee.

Should there be any query in this regard, please feel free to contact the undersigned.

(G.D. Ransinchung R.N.)

प्रो० जी० डी० रनसिनचुंग आर० एन०
Prof. G.D. Ransinchung R. N.
जानपद अभियांत्रिकी विभाग/Dept. of Civil Engineering
भा० प्रौ० सं० रुड़की/IIT Roorkee-247 667
फोन/Ph.:+91-8126924834
ई-मेल/Email: gdranfce@iitr.ac.in

GPS Map
Camera Lite
HCFF+499, Bisrakh Jalalpur, Greater Noida, Bisrakh Jalalpur, Uttar Pradesh 201318, India
Latitude
28.573957029730088°
Longitude
77.42333248257657°
Local 12:32:59 PM
GMT 07:02:59 AM
Altitude 199 meters
Friday, 08.05.2026

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1694 /वाद लि0/ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/2026 दिनांकः 19 मई, 2026

विषयः मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल ब्रॉच, नई दिल्ली के न्यायालय के मूल प्रार्थना पत्र संख्या-142/2026 संजय शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 के अनुपालन में प्रतिपक्षीगण की ओर से नियत तिथि से पूर्व मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. अधीक्षण अभियन्ता(सिचांई), औखला कैनाल गौतमबुद्धनगर।
2. उप जिलाधिकारी-दादरी, गौतमबुद्धनगर।
3. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, बीटा-1, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल ब्रॉच, नई दिल्ली के न्यायालय के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 142/2026 संजय शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 01.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम-बिसरख के खसरा सं0-104, 105 एवं 106 के हिन्दन नदी डूब क्षेत्र में किये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में एवं राजस्व ग्राम कुलेसरा के हिन्दन नदी डूब/फिलड जोन के क्षेत्र में किये जा रहे अवैध निर्माण होने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये है :-

"28. We find on examination of the true meaning of both the expressions that the place of incineration/crematorium is only a facility provided for disposal of dead bodies. It may be also regarded as a public utility service. Still, however, by no stretch of imagination, it cannot be branded as "development activity". In this view of the matter, we find it difficult to countenance the argument of learned Counsel for the PCPM that construction of the crematorium is permissible on the basis of the principle of "Sustainable Development". The argument itself is unsustainable and hence stands rejected. It need not be reiterated that the proposed construction of the place of incineration/crematorium within prohibited area (blue line) is illegal, against the environmental parameters and liable to be stalled. So also, any construction of the wall retaining/protective and above the ground level is liable to be demolished/dismantled. 29. For the reasons discussed herein above, we are inclined to allow the Application in the following way: (i) The construction of the retaining/protective walls on the side of the Pavana river in CTS No. 1703 or land S. no. 293 to the extent it is over and above the ground level shall be immediately demolished by the PCMC within period of two (2) weeks, at its own costs. On its failure to do so the PCMC shall be liable to pay amount of Rs. 25,00,000/- (Rs. Twenty five lacs) as cost for restitution work which will be carried out by appointment of a Commissioner. (ii) The PCMC shall not carry out any construction activity within the blue line area (prohibited zone) so as to construct the crematorium by raising pucca construction. (iii) The PCMC may erect poles by fixing them in cement-concrete foundation, keeping a distance of atleast 25 ft. from river bank and may fix channeling/barbed wire fencing around the poles so as to secure the proposed place of cremation from danger of entry of stray animals scavenging birds or like birds/animals. The fencing so fixed around the place may be kept open for entry or gate may be fixed at the entry point from western side. There shall be no exit gate fixed or any exit place made available from eastern side site so as to facilitate the members of the public to go to the river for bathing or undertaking any activity like emersion of the ashes of the dead etc. (iv) A temporary bathing place/washroom facility may be provided within the place of cremation ground that will be earmarked for the purpose (v) The PCMC however may seek appropriate permission from the water resources authority and any other competent authority as provided under the Law if modern type crematorium with use of electric energy or furnaces charged with bio-gas, solar energy, or like fuel are to be used in order to avoid air pollution and deforestation."

"उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदया द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश दिनॉक 23.02.2026 के अनुपालन में सभी सम्बन्धित प्रतिपक्षीगण की ओर से मा0 न्यायालय में नियत दिनॉक 25.05.2026 से 01 सप्ताह पूर्व प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।"

अतः प्रश्नगत प्रकरण में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है। प्राप्त जॉच आख्या की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल ब्रॉच, नई दिल्ली के न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 आपको इस आशय/निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है, कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आपस में समन्वय स्थापित कर, समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराते हुये, सभी सम्बन्धित प्रतिपक्षीगण की ओर से नियत दिनॉक 25.05.2026 से 01 सप्ताह पूर्व प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराना कराने का कष्ट करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया जा सकें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्र सं0 व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः 1- जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्धनगर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय, ग्रेटर नोएडा औ0वि0प्राधिकरण को जॉच आख्या दिनांक 18.05.2026 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

ANNEXURE R-8

प्रेषक,

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषित,

जिलाधिकारी,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– 2405 /है0व0ख0/ दिनांक: 20.05.2026

विषय– मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन O. A. No. 142/2026 संजय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य के दिनांक–23.02.2026 को दिये गये आदेशों की अनुपालन के सम्बन्ध में

सन्दर्भः– आपका पत्रांकः1694/वद/लि0/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/2026 दिनांक–19.05.2026।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कृते जिलाधिकारी महोदया के पत्रांकः1694/वाद लि0/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/2026, दिनांक–19.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–142/2026 संजय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के पारित आदेश दिनांक–23.02.2026 के क्रम में राजस्व ग्राम बिसरख के खसरा संख्या–104,105,106, के हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में किये जा रहे, अवैध निर्माण के सम्बन्ध में आख्या की वॉछना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग द्वारा हिण्डन नदी में आयी बाढ़ के समय बैक वाटर फ्लो को सैक्टरों में घुसने से रोकने हेतु हिण्डन नदी के बायें बैंक पर स्थित निर्मित आमनाबाद तटबन्ध पर बैक रेगुलेटर व ओपन नाले का निर्माण किया जा रहा है। ताकि हिण्डन नदी में आयी बाढ़ के समय बैक वाटर फ्लो को नियंत्रित कर नोएडा/ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में जल भराव की समस्या को रोककर क्षेत्र को जानमाल की हानि से बचाया जा सके। साथ ही अवगत कराना है कि आमनाबाद तटबन्ध ग्राम बिसरख के खसरा संख्या संख्या–105 के अन्तर्गत आता है। अतः सिंचाई विभाग द्वारा डूब क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे रेगुलेटर की छत के ऊपर स्थायी रूप से टीन शेड डालकर शमशान घाट का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। **उक्त कथन असत्य है।** रेगुलेटर के ऊपर तटबन्ध पर आवागमन हेतु सड़क का प्राविधान है। रेगुलेटर के गेटों से बाढ़ के समय रेगुलेटर का संचालन किया जाता है। स्थायी टीन शेड का प्राविधान किया जाना असम्भव है। साथ ही अवगत कराना है कि हिण्डन नदी व तटबन्ध के मध्य का क्षेत्र डूब क्षेत्र है। शासनादेश संख्या–1417 वीं–27–सि–2–181 बाढ़/09 दिनांक 16.03.2010 (संलग्नक–1)के अनुसार हिण्डन नदी का डूब क्षेत्र ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा का अधिसूचित क्षेत्र होने के कारण इससे सम्बन्धित समस्त प्रभावी कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। साथ ही जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–1056/सी0आर0ए0 आपदा प्रबंधन /2020–21 दिनांक 01.10.2020 (संलग्नक–2)द्वारा भी जनपद गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में होने वाले निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण का उत्तर दायित्व निर्धारित किया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में समस्त प्रभावी कार्यवाही ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग द्वारा हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में ग्राम बिसरख के खसरा संख्या–106 में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। साथ ही अवगत कराना है कि शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांक /हैवखं/दिनांक

प्रलिलिपि सहायक अभियन्ता–तृतीय हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25